

जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022

प्रलिस के लयः

जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022, अनुसूचलत जनजात, एकलव्य मॉडल आवासीय वदयालय, ट्राइफेड (TRIFED) ।

मेन्स के लयः

जनजातयों से संबंघत नवीनतम सरकारी पहल ।

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (Bharat Rural Livelihood Foundation- BRLF) द्वारा जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जसके बारे में संगठन का दावा है कयिह वर्ष 1947 के बाद से अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है ।

- संघ और राज्य सरकारों के सहयोग से नागरिक समाज की कार्रवाई का वसितार करने के लयि, केंद्रीय मंत्रमिडल ने वर्ष 2013 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त समाज के रूप में BRLF की स्थापना की थी ।

रिपोर्ट के प्रमुख बदिः

- जनजातीय आबादी:**
 - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनजातीय समुदाय देश की जनसंख्या का 8.6% है । परंतु आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी वे देश के विकास के पदानुक्रम में सबसे नचिले पायदान पर हैं ।
 - देश के 80% जनजातीय समुदाय मध्य भारत में हैं ।
 - 257 अनुसूचलत जनजातीय ज़िलों में से, 230 (90%) ज़िले या तो वनक्षेत्र या पहाड़ी अथवा रेगसितानी क्षेत्र में आते हैं ।
- जनजातीय समुदाय सबसे ज़्यादा वंचतः**
 - बात चाहे स्वच्छता, शक्तिषा, पोषण की हो या पीने के पानी तक पहुँच की, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी आदवासी सबसे ज़्यादा वंचत हैं ।
- जनजातीय क्षेत्रों में अशांत और संघर्ष:**
 - जनजातीय क्षेत्रों में भी अशांत और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है । यह एक कारण है ककिई सरकारी कल्याणकारी योजनानाएँ और नीतयिँ इन क्षेत्रों में शुरु नहीं हो पा रही हैं । इस क्षेत्र का संकट दोनों पक्षों को प्रभावत करता है ।
- सबसे कठोर स्थानों परम वसिथापन :**
- रिपोर्ट में कहा गया है कभारत के स्वदेशी समुदायों को जलोढ मैदानों और उपजाऊ नदी घाटयों से दूर पहाड़यों, जंगलों और शुष्क भूमजैसी देश की सबसे कठोर परस्थितयों में वसिथापत कर दया गया है
- 1980 में वन संरक्षण अधनियम:**
 - 1980 में वन संरक्षण अधनियम के लागू होने के बाद, संघर्ष को पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आदवासी समुदायों की ज़रूरतों के बीच देखा जाने लगा, जससे लोगों और जंगलों के बीच दूरयिँ बढ़ने लगी हैं ।
 - वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीत के अनुसार स्थानीय लोगों की घरेलू आवश्यकताओं को पहली बार स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी ।
 - नीत में आदवासयों के प्रथागत अधिकारों की रक्षा करने और वनों की सुरक्षा बढ़ाने के लयि आदवासयों को जोड़ने पर ज़ोर दया है । लेकिन जनोनमुखी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा आंदोलन ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खा पाया है ।
- सुझाव:**
 - जनजातीय समुदायों के लयि नीतयिँ बनाने के लयि उनकी वशिष वशिषताओं को समझना महत्त्वपूर्ण है ।
 - ऐसे कई आदवासी समुदाय हैं जो अलगाव पसंद करते हैं । वे शर्मीले हैं और वे बाहरी दुनया से संपर्क नहीं रखते हैं । देश के नीतनरिमाताओं और नेताओं को इस वशिषता को समझने और फरि आदवासयों के कल्याण की दशिा में काम करने की आवश्यकता है ताकवे उनसे बेहतर तरीके से जुड़ सकें ।

जनजातयों से संबंघत सरकारी पहल:

- [एकलव्य मॉडल आवासीय वदियालय](#)
- [ट्राइफेड](#)
- [जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन](#)
- [वशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास](#)
- [प्रधानमंत्री वन धन योजना](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न :

प्रश्न: भारत के संवधान की कसि अनुसूची के तहत आदवासी भूमिका खनन के लयि नजि पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषति कयि जा सकता है? (2019)

- (a) तीसरी अनुसूची
- (b) पाँचवी अनुसूची
- (c) नौवी अनुसूची
- (d) बारहवी अनुसूची

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- अनुसूचति क्षेत्रों में खनजि रयियतों का अनुदान अनुसूचति क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधति संवधान की पाँचवी और छठी अनुसूचतियों के साथ-साथ अनुच्छेद 244 में नहिति प्रावधानों तथा पंचायत (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार) अधनियिम, 1996 और अनुसूचति जनजात और परंपरागत वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियिम, 2006 या आदवासियों के हतियों की रक्षा करने वाले अन्य प्रासंगिक वैधानिक अधनियिम के प्रावधानों द्वारा नरिदेशति है ।
- पाँचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल सार्वजनिक अधसूचना द्वारा यह नरिदेश दे सकते हैं क संसद या राज्य के वधानमंडल का कोई वशेष अधनियिम राज्य में अनुसूचति क्षेत्र या उसके कसि हसिसे पर लागू होगा या नही होगा ।
- इस प्रकार पाँचवी अनुसूची के तहत आदवासी भूमिका खनन करने के लयि नजि पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषति कयि जा सकता है ।

अतः विकल्प (b) सही है ।

प्रश्न. आप उन आँकड़ों की व्याख्या कैसे करते हैं जो दखिते हैं क भारत में जनजातियों में लगानुपात अनुसूचति जातियों के लगानुपात की तुलना में महलाओं के लयि अधिक अनुकूल है? (मुख्य परीक्षा, 2015)

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)